



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27806-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **29784 वर्ष 2025**

सुशील कुमार जैन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कबीर तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि वे इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"